न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 141/2024

स्टेट जरिये श्री संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—:बनामः—

हंसराज पुत्र गंगाराम अरोड़ा (विक्रेता)
मैसर्सः—नरेश कुमार राजकुमार, धान मण्डी, गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 16, गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51 एवं 58

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री राजन गाबा, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक :—28.03.2025

प्रार्थी श्री संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार दिनांक 10.08.2023 को समय दोपहर 04.39 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स—नरेश कुमार राजकुमार, धान मण्डी, गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहाँ हंसराज पुत्र गंगाराम अरोड़ा (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 16, गोलूवाला, जिला हनुमानगढ़ मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते कार्टून के बॉक्स में लगभग 60 लीटर Cow Ghee (Dairy Milk Brand) रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 पैकेट X 200 एम0एल0 Cow Ghee (Dairy Milk Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Cow Ghee (Dairy Milk Brand) के खरीद मूल का 320/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 04 पैकेट X 200 एम0एल0 Cow Ghee (Dairy Milk Brand) पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सील्ड पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटकर किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके—2821 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2821 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा करवाया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1220 दिनांक 24.08.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/15088—89 दिनांक 04.09.2023 द्वारा द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त

न्याय निर्णयक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Dairy Milk Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Cow Ghee (Dairy Milk Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी नाकर्दा जुर्म है। अप्रार्थी से प्राप्त खाद्य नमूना संख्या एके–2821 सब स्टैण्डर्ड होना नहीं पाया गया है और ना ही उक्त खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। अप्रार्थी सब स्टैण्डर्ड Cow Ghee (Dairy Milk Brand) का भी विनिर्माता नहीं है। उक्त उत्पाद अप्रार्थी द्वारा निर्मित नहीं किया जाता। अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा द्वेषपूर्ण कार्यवाही की गई है जो निरस्त की जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार से कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। तमाम कार्यवाही झूठी तथा कोटा पूर्ण करने के आशय से की गई है जो कि गलत है। अप्रार्थी सद्भावी है। अतः जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुये की गई कार्यवाही ड्राप किये जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन करने पर न्यायालय के यह भी संज्ञान में आया कि लैब रिपोर्ट में उक्त घी Substandard के साथ–साथ Contravenes of Regulation भी पाया गया है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard & Contravenes of Regulation Cow Ghee (Dairy Milk Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। घी दैनिक उपयोग में काम आने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ है जिसका Substandard & Contravenes of Regulation पाया जाना लोकस्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर अपराध है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard & Contravenes of Regulation कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/–(अखरे रूपये एक लाख मात्र), धारा 58 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/–(अखरे रूपये पचास हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 1,50,000/–(अखरे रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़